क्रमांक 2538-ज(II)-81/1446.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री श्योनारायण, पुत्र श्री बदलू राम, गांव खोड़, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांवा; को रबी, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद दी में गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 18 जनवरी, 1982

क्रमांक 2527-ज-(I)-81/1952.—श्री सोहबत सिंह, पुत्र श्री दुनी चन्द, गांव मित्तायल, तहसील व जिला भिवानी की दिनांक 8 जून, 1981, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सोहबत सिंह को मुल्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 57-ए-III-71/7584, दिनांक 22 मार्च, 1971 तथा अधिसूचना क्रमांक 1769-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती हरदेवी के नाम रबी, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 19 जनवरी, 1982

क्रमांक 2537-ज-(II)-81/2098.—श्री पहलाद सिंह, पुत्र श्री राम सेवक, गांव उजीना, तहसील नूंह, जिला गुड़गांव की दिनांक 6 मार्च, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पहलाद सिंह को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 835-आर-(V)-66/958, दिनांक 4 अप्रैल, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती हरनन्दी के नाम अप्रैल, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 20 जनवरी, 1982

क्रमांक 6-ज(II)-81/2453.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दलीप सिंह, पुत्र श्री मुगला राम, गांव सिमसार, तहसील नरवाना, जिला जींद की, खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 21 जनवरी, 1982

क्रमांक 36-ज(II)-82/2489.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंप गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री लाल चन्द, पुत्र श्री मौजी राम, गांव सुण्डाना, तहसील व जिला रोहतक, को खरीफ, 1965 से रबी 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ 1970 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है।

दिनांक 5 फरवरी, 1982

क्रमांक 78-ज(II)-82/4338.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती केसर देवी, विधवा श्री इन्द्र सिंह, गांव चटाना, तहसील व जिला सोनीपत, को खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।